

कार्यालय जिला कलक्टर (रसद) जयपुर

क्रमांक-रसद/एफपीएस/विज्ञप्ति-2023/2026/2018

दिनांक- 29.09.2026

विज्ञप्ति

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग राजस्थान जयपुर द्वारा रिक्त उचित मूल्य दुकानों के आवंटन हेतु जारी दिशा-निर्देश दिनांक 17.03.2016 एवं उचित मूल्य दुकानों की नियुक्ति में आरक्षण व्यवस्था लागू करने से सम्बन्धित दिशा-निर्देश दिनांक 25.11.2020 की पालना में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के खण्ड 3(1) के अन्तर्गत प्राधिकार पत्र जारी किये जाने हेतु कार्यालय जिला रसद अधिकारी जयपुर द्वितीय की रिक्त 119 उचित मूल्य दुकानों के लिए इच्छुक पात्र आवेदक/ संस्था से आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं।



उपखण्ड	तहसील	क्र. स.	ग्राम पंचायत/नगर पालिका	वितरण केन्द्र	रिक्त उ.मू.दु का पोस कोड	आरक्षण/सामान्य
बस्सी	बस्सी	1	नगर पालिका बस्सी, वार्ड नंबर 9, 12, 21	वार्ड नंबर 12 (पुराना)	14120	महिला आरक्षित
		2	रामरतनपुरा	रामरतनपुरा	14071	सामान्य
		3	मनोहरपुरा	अखेपुरा	14145	महिला आरक्षित
		4	दूधली	दूधली	14129	सामान्य
		5	पडासोली	पडासोली	14102	महिला आरक्षित
		6	टहटडा	टहटडा	14098	सामान्य
		7	टहटडा	दौपुर	14099	सामान्य
		8	लालगढ	लालगढ	14131	सामान्य
	तुंगा	9	खतेपुरा	खतेपुरा	14103	महिला आरक्षित
		10	बराला	बराला	29328	सामान्य
फागी	फागी	11	मण्डोर	मण्डोर	14268	महिला आरक्षित
		12	रोटवाडा	रोटवाडा	14267	सामान्य
		13	चकवाडा	चकवाडा	14320	सामान्य
		14	लसाडिया	लसाडिया	14285	सामान्य
		15	नारेडा	छापरी	14307	महिला आरक्षित
		16	परवण	कवरपुरा	14280	सामान्य
		17	फागी	फागी	14276	सामान्य
	माधोराजपुरा	18	भांकरोटा	भांकरोटा	14323	सामान्य
		19	रेनवाल मांझी	रेनवाल मांझी	14315	महिला आरक्षित
		20	मोहब्बतपुरा	मोहब्बतपुरा	14311	सामान्य
		21	झाडला	झाडला	14289	सामान्य
		22	हीरापुरा	हीरापुरा	14288	सामान्य
जोबनेर	जोबनेर	23	डेहरा	डेहरा	11119	सामान्य
		24	जोरपुरा जोबनेर	जोरपुरा जोबनेर	15928	महिला आरक्षित
		25	आसलपुर	आसलपुर- II	15952	सामान्य
		26	आईदान का बास	आईदान का बास	15954	महिला आरक्षित
		27	बस्सी झाझडा	बस्सी झाझडा	15956	सामान्य
		28	भैसांवा	भैसांवा	21399	सामान्य
		29	करणसर	खिजूरियाँ	21417	सामान्य
		30	नगर पालिका जोबनेर वार्ड संख्या 3, 9 एवं 10	नगर पालिका जोबनेर वार्ड संख्या 9	14796	सामान्य
सांभर	किशनगढ-रेनवाल	31	मुण्डियागढ	मुण्डियागढ	11103	महिला आरक्षित
		32	लुनियावास	लुनियावास	11113	सामान्य



सांभर	फुलेरा	33	नगर पालिका किशनगढ रेनवाल, वार्ड नंबर 4,5,6,10	नगर पालिका किशनगढ रेनवाल, वार्ड नंबर 5	14872	सामान्य
		34	सुण्डो का बास	सुण्डो का बास	15704	महिला आरक्षित
		35	रामजीपुरा कलां	सुन्दरपुरा	15922	महिला आरक्षित
		36	बासडी खुर्द	बासडी खुर्द	21397	महिला आरक्षित
		37	भांदवा	डोगी वालों का बास	21398	सामान्य
		38	डूंगरसी का बास	डूंगरसी का बास	21401	सामान्य
		39	हरसोली	हरसोली	21406	सामान्य
		40	जूनसिया	जूनसिया	21420	सामान्य
		41	काबरो का बास	काबरो का बास	21427	सामान्य
		42	मलिकपुर	मलिकपुर	21421	महिला आरक्षित
		43	बाघावास	बाघावास	11110	सामान्य
		44	भैसलाना	भैसलाना	21400	सामान्य
		45	नगर पालिका किशनगढ रेनवाल, वार्ड नंबर 19, 20	नगर पालिका किशनगढ रेनवाल, वार्ड नंबर 20	17435	सामान्य
		46	नगर पालिका किशनगढ रेनवाल, वार्ड नंबर 1, 2,3	नगर पालिका किशनगढ रेनवाल, वार्ड नंबर 3	14850	सामान्य
		47	सिनोदिया	सिनोदिया	11116	सामान्य
जमवारा मगढ	जमवारा मगढ	48	चैनपुरा	पीथावास	11123	सामान्य
		49	चैनपुरा	भावसा	11124	सामान्य
		50	सुरसिंहपुरा	माल्यावास	21476	महिला आरक्षित
		51	आकोदा	आकोदा	15930	महिला आरक्षित
		52	रोजडी	रोजडी II	15943	सामान्य
		53	हिरनोदा	महेशवास	15944	महिला आरक्षित
		54	तेज्या का बास	तेज्या का बास	16097	सामान्य
		55	श्रीरामपुरा	श्रीरामपुरा	21463	सामान्य
		56	नगर पालिका सांभर वार्ड नंबर 1, 20	नगर पालिका सांभर वार्ड नंबर 1	14710	महिला आरक्षित
		57	नगर पालिका सांभर वार्ड नंबर 4, 17	नगर पालिका सांभर वार्ड नंबर 4	14753	सामान्य
आमेर	आमेर	58	नगर पालिका सांभर वार्ड नंबर 18, 19	नगर पालिका सांभर वार्ड नंबर 18	14732	महिला आरक्षित
		59	नगर पालिका सांभर वार्ड नंबर 6, 8	नगर पालिका सांभर वार्ड नंबर 8	14687	सामान्य
		60	नगर पालिका फुलेरा वार्ड नंबर 7,9,10,14,15	नगर पालिका फुलेरा वार्ड नंबर 14	14629	सामान्य
		61	नगर पालिका नरैना वार्ड नंबर 9,10	नगर पालिका नरैना वार्ड नंबर 10	28886	सामान्य
		62	नायला	रामजीपुरा	30136	सामान्य
आमेर	आमेर	63	ताला	ताला I	21621	महिला आरक्षित
		64	डांगरवाडा	डांगरवाडा	21669	सामान्य
		65	मंहगी	मंहगी	21659	महिला आरक्षित
		66	थली	थली	21667	सामान्य
		67	फुटोलाव	फुटोलाव	21670	सामान्य
आमेर	आमेर	68	लखेर	लखेर	10905	महिला आरक्षित



	जालसू	69	रुण्डल	रुण्डल	14356	सामान्य
		70	घतरपुरा	आधोजाई	14361	सामान्य
		71	नांगलशिरसा	नांगलशिरसा	21624	महिला आरक्षित
		72	रामपुरा डाबडी	रामपुरा डाबडी	21601	सामान्य
		73	रायथल	रायथल	14372	सामान्य
सागानेर	सागानेर	74	देहमीकला	देहमीखुर्द	10887	सामान्य
		75	पवालिया	टिलावाला	21507	सामान्य
		76	कपुरावाला	कपुरावाला	21528	सामान्य
		77	भाकरोटा	भाकरोटा	21520	सामान्य
		78	भम्बोरिया	देवलिया	21523	महिला आरक्षित
		79	वाटिका	वाटिका	14342	सामान्य
		80	नगर पालिका वगरु वार्ड नंबर 1 एवं 2	नगर पालिका वगरु वार्ड नंबर 1 एवं 2	16216	महिला आरक्षित
	दूदू	81	उरसेवा	उरसेवा	14789	सामान्य
		82	दीगोलाव	हदुपुरा	21457	महिला आरक्षित
		83	साखून	जाखडो की दाणी	10869	महिला आरक्षित
		84	नानण	मालेडा	10884	महिला आरक्षित
		85	जडावता	जडावता	10881	सामान्य
	मौजमाबाद	86	गाडोता	नासनोदा	14787	सामान्य
		87	धमाणा	लोरडी	10856	सामान्य
जयपुर ग्रामीण	जयपुर ग्रामीण	88	मुण्डिया रामसर	मुण्डिया रामसर	21554	महिला आरक्षित
		89	फतेहपुरा	फतेहपुरा	14235	सामान्य
		90	मण्डाभोपावास	मण्डाभोपावास	14232	महिला आरक्षित
		91	निमेडा	निमेडा	14256	सामान्य
		92	धानक्या	धानक्या	14255	महिला आरक्षित
शाहपुरा	शाहपुरा	93	छापडा खुर्द	छापडा खुर्द	14693	सामान्य
		94	नायन	त्रिलोकपुरा	14867	सामान्य
		95	नवलपुरा	नवलपुरा	29771	सामान्य
		96	नगर पालिका शाहपुरा वार्ड नं 4	नगर पालिका शाहपुरा वार्ड नं 4	17396	सामान्य
		97	नगर पालिका शाहपुरा वार्ड नं 11	नगर पालिका शाहपुरा वार्ड नं 11	17410	सामान्य
		98	नगर पालिका शाहपुरा वार्ड नं 12	नगर पालिका शाहपुरा वार्ड नं 12	17412	सामान्य
		99	नगर पालिका शाहपुरा वार्ड नं 13	नगर पालिका शाहपुरा वार्ड नं 13	17414	सामान्य
		100	नगर पालिका शाहपुरा वार्ड नं 14	नगर पालिका शाहपुरा वार्ड नं 14	17416	सामान्य
		101	नगर पालिका शाहपुरा वार्ड नं 17	नगर पालिका शाहपुरा वार्ड नं 17	17422	सामान्य
चौमू	चौमू	102	गोविन्दगढ	कालू का बास	14439	सामान्य
		103	हस्तेडा	हस्तेडा	21356	सामान्य
		104	कालाडेर	कालाडेर।।	14458	सामान्य
		105	गुडलिया	कीरत सिंह का बास	14436	सामान्य
		106	खेजरोली	खेजरोली	14466	सामान्य
		107	गोविंदगढ	गोविंदगढ।।।	14491	महिला आरक्षित
		108	इटावा भोपजी	इटावा भोपजी।	14474	सामान्य

		109	नगर पालिका चौमू वार्ड नंबर 12 (पुराना)	नगर पालिका चौमू वार्ड नंबर 12	17363	सामान्य
		110	नगर पालिका चौमू वार्ड नंबर 19 (पुराना)	नगर पालिका चौमू वार्ड नंबर 19	17368	सामान्य
		111	नगर पालिका चौमू वार्ड नंबर 23, 24	नगर पालिका चौमू वार्ड नंबर 23, 24	17372	सामान्य
		112	नगर पालिका चौमू वार्ड नंबर 9 (पुराना)	नगर पालिका चौमू वार्ड नंबर 9	17353	सामान्य
		113	नगर पालिका चौमू वार्ड नंबर 20 (पुराना)	नगर पालिका चौमू वार्ड नंबर 20	17375	सामान्य
चाकसू	चाकसू	114	नगर पालिका चाकसू वार्ड नंबर 17 (पुराना)	नगर पालिका चाकसू वार्ड नंबर 17 (पुराना)	17455	सामान्य
		115	नगर पालिका चाकसू वार्ड 15 एवं 5 (पुराना)	नगर पालिका चाकसू वार्ड 15 एवं 5 (पुराना)	17451	महिला आरक्षित
		116	कादेडा	कादेडा प्रथम	10916	महिला आरक्षित
		117	सवाई माधोसिंहपुरा	सवाई माधोसिंहपुरा	21706	सामान्य
		118	कोटखावदा	कोटखावदा-1	21710	महिला आरक्षित
		119	काठावाला	यारलीपुरा	15684	महिला आरक्षित



आवेदन पत्र से सम्बन्धित सामान्य निर्देश :-

- यह विज्ञप्ति विभागीय पत्रांक: 17(39)खा.वि./न्याय/2026/2026-04748 दिनांक 24.09.2026 के अनुसारण में कार्यालय द्वारा वर्ष 2023 में जारी विज्ञप्ति पत्रांक: 779 दिनांक: 11.04.2023 को समाप्त कर नये सिरे से नवीन रिक्त उचित मूल्य दुकानों की रिक्तियों के विरुद्ध जारी की गई है, इस विज्ञप्ति को विज्ञप्ति - 2026 के नाम से सम्बोधित किया जावेगा। यह विज्ञप्ति विभागीय दिशा-निर्देश 17.03.2016 के अधधीन रहेगी।
- सभी आवेदकों को जिला रसद कार्यालय जयपुर द्वितीय से नवीन आवेदन पत्र लिया जाना अनिवार्य होगा पूर्व के आवेदन पत्रों पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।
 - विज्ञप्ति-2023 में जिन आवेदकों द्वारा पूर्व में आवेदन शुल्क (पोस्टल आर्डर) जमा करवा दिये गये हैं उन आवेदकों द्वारा पोस्टल आर्डर की रसीद कार्यालय में प्रस्तुत किये जाने पर उनके लिये आवेदन पत्र निशुल्क रहेगा।
 - आवेदन पत्र दिनांक 01.10.2026 से 30.10.2026 तक प्रत्येक कार्यदिवस में कार्यालय समय प्रातः 09:30 बजे से सांय 06:00 बजे तक कार्यालय जिला रसद अधिकारी जयपुर द्वितीय के कमरा नम्बर 46 से प्राप्त किए जा सकेंगे।
 - आवेदन पत्र भरने के पश्चात् दिनांक 02.11.2026 से 13.11.2026 तक प्रत्येक कार्य दिवस में कार्यालय समय प्रातः 09:30 बजे से सांय 06:00 बजे तक कार्यालय जिला रसद अधिकारी जयपुर द्वितीय के कमरा नम्बर 36 में जमा करवाये जा सकेंगे।
 - कार्यालय जिला रसद अधिकारी जयपुर द्वितीय से प्राप्त किया गया आवेदन पत्र (निर्धारित प्रपत्र में) छायाचित्र सहित ही स्वीकार किया जा सकेगा। अन्य किसी माध्यम यथा ई-मित्र, टाईपिस्ट, नोटेरी बुक स्टोर से प्राप्त किये गये आवेदन पत्र कार्यालय द्वारा स्वीकार नहीं किया जावेगा।
 - आवेदनकर्ता द्वारा अपना छाया चित्र आवेदन पत्र में अंकित स्थान पर चरपा कर तथा चार छाया चित्र पृथक से आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
 - आवेदन पत्र का मूल्य 100/- रुपये निर्धारित है।
 - आवेदन पत्र कार्यालय जिला रसद अधिकारी जयपुर द्वितीय से निर्धारित शुल्क का डीडी अथवा भारतीय पोस्टल आर्डर जमा कराया जाकर ही प्राप्त किये जा सकेंगे।
2. उचित मूल्य दुकान आवंटन हेतु अर्हताएँ :-
- शहरी क्षेत्र की उचित मूल्य की दुकान हेतु आवेदक उसी वार्ड का निवासी होना चाहिये जिस वार्ड के उपभोक्ताओं को राशन सामग्री वितरित की जानी है अर्थात् आवेदक का उस उचित मूल्य दुकान की अधिकारिता क्षेत्र में स्थित वार्डों में से किसी एक वार्ड का निवासी होना चाहिये।
 - ग्रामीण क्षेत्र की उचित मूल्य दुकान के सम्बन्ध में आवेदक का उसी ग्राम पंचायत के किसी भी ग्राम या वार्ड का निवासी होना आवश्यक है, जिस ग्राम पंचायत में उचित मूल्य दुकान स्थित है। एक से

अधिक योग्य आवेदन पत्र प्राप्त होने की स्थिति में वरीयता उसी वार्ड के निवासी को दी जावेगी जिसमें उचित मूल्य की दुकान स्थित है।

- iii. आवेदक द्वारा निवास स्थान के प्रमाण के रूप में सम्बन्धित भाग संख्या की मतदाता सूची की सत्यापित प्रतिलिपि, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी पहचान पत्र की स्वप्रमाणित प्रति, आधार कार्ड, जनाधार कार्ड, ड्राइविंग लाईसेन्स की स्वप्रमाणित प्रति में से कोई एक दस्तावेज प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
- x. उचित मूल्य दुकान हेतु सभी श्रेणी के आवेदकों की आयु 21 से 45 वर्ष होनी चाहिये अर्थात् उचित मूल्य दुकान हेतु आवेदन पत्र प्राप्त करने की अन्तिम तिथि को आवेदक की आयु 21 वर्ष से कम तथा 45 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिये। विज्ञप्ति-2023 में तत्समय प्राप्त आवेदन पत्र में कई आवेदक जो आदिनांक निर्धारित 45 वर्ष की आयु सीमा पूर्ण कर चुके हैं, जो विभागीय दिशा-निर्देश दिनांक 17.03.2016 के अनुसार वर्तमान में पात्र नहीं है उनको आयु सीमा छूट प्रदान की जावेगी। (विभागीय पत्र दिनांक 24.09.2026 के अनुसार)
- iv. आवेदक द्वारा आयु के सम्बन्ध में सेकेण्डरी परीक्षा की अंक तालिका, सम्बन्धित भाग संख्या की मतदाता सूची की सत्यापित प्रतिलिपि, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी पहचान पत्र की स्वप्रमाणित प्रति, आधार कार्ड, जनाधार कार्ड, ड्राइविंग लाईसेन्स की स्वप्रमाणित प्रति में से कोई एक दस्तावेज प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
- v. आवेदक की शैक्षणिक योग्यता स्नातक एवं कम्प्यूटर में Rajasthan Knowledge Corporation Limited (RKCL) अथवा अन्य समकक्ष सरकारी संस्थान का तीन माह का आधारभूत प्रशिक्षण प्राप्त होना चाहिये। यदि उचित मूल्य दुकानों के आवेदकों में कोई भी आवेदक स्नातक स्तर की शैक्षणिक योग्यता नहीं रखता है, तो ऐसी स्थिति में 12वीं कक्षा उत्तीर्ण आवेदकों के प्रार्थना-पत्रों को भी आवंटन हेतु स्वीकार किया जा सकेगा। यदि आवेदक कम्प्यूटर में प्रशिक्षण प्राप्त नहीं है तो आवेदक द्वारा आवेदन पत्र के साथ यह शपथ पत्र दिया जाना अनिवार्य होगा कि वह चयनित होने के 06 माह की अवधि में ऐसा प्रशिक्षण प्राप्त कर लेगा व ऐसे चयनित व्यक्तियों को प्रशिक्षण प्राप्ति के पश्चात् ही प्राधिकार पत्र दिया जावेगा। आवेदक समितियाँ/समूह निकाय होने पर सम्बन्धित अध्यक्ष/सचिव/प्रबन्धक को कम्प्यूटर दक्षता एवं शैक्षणिक योग्यताओं को पूर्ण करना अनिवार्य होगा तथा इस बाबत प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
- vi. आवेदक को अन्नपूर्णा भण्डार हेतु राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मापदण्ड पूर्ण करने आवश्यक होंगे। यदि आवेदक पूर्व से ही अन्नपूर्णा भण्डार के मापदण्डों को पूर्ण करता है तो उसकी पुष्टि में आवेदक को दुकान का नक्शा, स्वामित्व, किरायानामा आदि से सम्बन्धित दस्तावेज प्रस्तुत करने आवश्यक होंगे। आवेदन करते समय यदि आवेदक अन्नपूर्णा भण्डार के मापदण्डों को पूर्ण नहीं करते हैं तो उन्हें छः माह में मापदण्ड पूर्ण किये जाने का घोषणा पत्र प्रस्तुत करना होगा। मापदण्ड पूर्णता अवधि विशेष परिस्थितियों में ही राज्य सरकार/जिला कलक्टर द्वारा अधिकतम छः माह तक बढ़ाई जा सकेगी। यदि घोषणा पत्र के अनुसार प्राधिकृत होने पर मापदण्ड पूर्ण नहीं किये जाते हैं, तो प्राधिकार पत्र निरस्त किया जा सकेगा।
- vii. आवेदक को आवेदन पत्र में अंकित घोषणाओं के सम्बन्ध में 50/- रुपये के स्टाम्प पर नोटरी से सत्यापित शपथ पत्र देना होगा।
- viii. उचित मूल्य दुकान हेतु आवेदन करने वाले पुरुष/महिला के दिनांक 01.01.2015 के बाद जन्म लेने वाली सन्तान सहित दो से अधिक सन्तान नहीं होनी चाहियें। दिनांक 01.01.2015 के पश्चात दो से अधिक संतान होने की स्थिति में व्यक्ति आवेदन का पात्र नहीं होगा। उचित मूल्य दुकान आवंटन होने के पश्चात् यदि किसी उचित मूल्य दुकानदार के तीसरी सन्तान का जन्म होता है तो ऐसे उचित मूल्य दुकानदार का प्राधिकार पत्र निरस्तनीय होगा परन्तु किसी आवेदक के दिनांक 31.12.2014 को एक ही सन्तान है तथा पश्चातवर्ती एकल प्रसव से एक से अधिक सन्तान जन्म लेती है तो सन्तान की गणना करते समय इस प्रकार एक प्रसव से जन्म लेने वाली सन्तानों को एक ही इकाई समझा जावें।
- ix. आवेदक द्वारा प्रस्तावित दुकान का नक्शा साइट प्लान तथा रूट प्लान के साथ सही माप में दर्शा कर तीन प्रति में स्वप्रमाणित करके प्रस्तुत किया जावेगा। नक्शे में प्रस्तावित दुकान के आगे-पीछे व दायें-बायें स्थित भवनों/स्थानों/भूमि/सड़क का स्पष्ट विवरण दिशा ज्ञान के साथ अंकित किया जावेगा। प्रस्तावित दुकान किराये की होने पर अनुबन्ध की प्रति/स्वयं की होने पर पट्टे की प्रति स्वप्रमाणित कर संलग्न की जावे। उचित मूल्य दुकान केन्द्रीय स्थल पर स्थित होनी चाहिये ताकि उपभोक्ता उचित मूल्य दुकान पर आसानी से पहुँच सके। प्रस्तावित उचित मूल्य दुकान सुरक्षा एवं यातायात के साधन के दृष्टिकोण से उचित स्थान पर होनी चाहिये। आवेदक को दुकान आवंटन के बाद जिस वितरण स्थल पर वितरण हेतु अधिकृत किया जावेगा, वह स्थान कम से कम 30 फीट रोड़ पर स्थित होना चाहिये तथा उस स्थान का न्यूनतम क्षेत्रफल 10x20 अर्थात् 200 वर्गफीट होना आवश्यक है। आवेदक द्वारा वितरण स्थल के तीन ब्लूप्रिंट नक्शे आवेदन पत्र के साथ संलग्न करने आवश्यक है। आवेदक द्वारा अन्नपूर्णा भण्डार हेतु राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मापदण्ड पूर्ण करने आवश्यक है। यदि आवेदक पूर्व से ही अन्नपूर्णा भण्डार के मापदण्डों को पूर्ण करता है, तो उसकी



पुष्टि में दुकान का नक्शा, स्वामित्व, किरायानामा आदि से सम्बन्धित दस्तावेज प्रस्तुत करने आवश्यक होंगे।

- x. आवेदक द्वारा आवेदन पत्र के साथ सम्बन्धित तहसीलदार द्वारा जारी किया गया न्यूनतम 1,00,000/-रुपये का हैसियत प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। हैसियत प्रमाण पत्र मूल ही प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। हैसियत प्रमाणपत्र छः माह से अधिक पुराना होने पर मान्य नहीं होगा।
- xi. महिला स्वयं सहायता समूह के लिये कार्यक्रम अधिकारी, महिला अधिकारिता की अभिशंषा सहित समूह की वित्तीय हैसियत न्यूनतम 25,000/-रुपये होना आवश्यक होगा।
- xii. समिति, जो कि सहकारी अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत है, को, हैसियत प्रमाण पत्र के स्थान पर समूह की वित्तीय हैसियत के सम्बन्ध में उनकी अंशपूँजी का विवरण, कार्यशील पूँजी का विवरण, वार्षिक कुल राशि का विवरण एवं विगत दो वित्तीय वर्ष एवं चालू वर्ष के बैंक खाते के स्टेटमेंट की प्रति मय सहायक पंजीयक/उप पंजीयक की यह अभिशंषा संलग्न करनी होगी कि समिति के वित्तीय हैसियत 1,00,000/- रुपये है और समिति की विगत तीन संपरीक्षा (ऑडिट रिपोर्ट) में गम्भीर अनियमितता नहीं है।
- xiii. आवेदक द्वारा निम्न बिन्दुओं को अंकित करते हुये एक घोषणा पत्र दिया जावेगा:-
(क) आवेदकको पूर्व में आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत दण्डित नहीं किया गया है।
(ख) आवेदकके स्वयं के द्वारा ही उचित मूल्य दुकान का संचालन किया जावेगा।
(ग) आवेदक के परिवार में किसी सदस्य यथा, माता-पिता, पुत्र एवं पुत्री के नाम से पूर्व में कोई उचित मूल्य दुकान आवंटित नहीं है।
(घ) आवेदक को विधिक रूप से अयोग्य घोषित नहीं किया गया है।
(ङ) आवेदक बालिग एवं स्वस्थचित है, चाल-चलन अच्छा है तथा आवेदक को कभी दिवालिया घोषित नहीं किया गया है।
(च) आवेदक के दिनांक 01.01.2015 के बाद जन्म लेने वाली सन्तान सहित दो से अधिक सन्तान नहीं है।
- xiv. आवेदन पत्र में आवेदक द्वारा दी गयी सूचनाएँ गलत पाये जाने पर आवंटन रद्द करने का अधिकार सक्षम अधिकारी को होगा।
- xv. नवसृजित उचित मूल्य दुकानों में कमी/बढ़ोतरी/संशोधन कार्यालय द्वारा किया जा सकता है तथा रिक्तियों को भरने एवं नहीं भरने का निर्णय अन्तिम होगा।
- xvi. नवसृजित उचित मूल्य दुकानों हेतु आवेदन निर्धारित अवधि में पूर्ण दस्तावेजों सहित आवेदक को कार्यालय में जमा करवाने होंगे। पूर्व में जारी विज्ञप्ति के तहत जमा आवेदन पत्र मान्य नहीं है।
- xvii. दिव्यांगजन को आवेदन पत्र के साथ चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग का प्रमाण पत्र/समाज कल्याण विभाग का प्रमाण पत्र, शहीद की वीरांगना को सेना द्वारा जारी प्रमाण पत्र, विधवा एवं परित्यक्ता को सम्बन्धित विभाग का प्रमाण पत्र, भूतपूर्व सैनिक को सेना से सेवामुक्त होने का प्रमाण पत्र तथा शिक्षित बेरोजगार को जिला रोजगार अधिकारी का पंजीकरण प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न करनी आवश्यक होगी।
- xviii. आवेदक को आवेदन पत्र के साथ दो राजपत्रित आधिकारियों द्वारा जारी चरित्र प्रमाण पत्र संलग्न करना आवश्यक होगा।
- xix. आवेदक/संस्था के पदाधिकारी (महिला स्वयं सहायता समूह/ग्राम सेवा सहकारी समिति/लैम्पस/दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति के सम्बन्ध में) को उसके घर में कार्यशील शौचालय (Functional toilet) होने के सम्बन्ध में अण्डरटेकिंग प्रस्तुत करनी होगी। उक्त प्रावधान उचित मूल्य दुकान आवंटन के लिये अनिवार्य अर्हता होगी।

3. चयन प्रक्रिया एवं प्राथमिकता :-

आवंटन सलाहकार समिति द्वारा प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार किया जाकर अपनी अभिशंषा जिला कलक्टर को प्रस्तुत की जावेगी। आवंटन सलाहकार समिति द्वारा साक्षात्कार के समय आवेदक के चयन में प्राथमिकता क्रम निम्नानुसार रहेगा :-

(क) प्रथम वरीयता (संस्थागत) के अन्तर्गत निम्नलिखित प्राथमिकता क्रम के आधार पर चयन किया जावेगा :-

- i. ग्राम सेवा सहकारी समिति/लैम्पस (वृहत्तर क्षेत्रीय बहुउद्देशीय सहकारी समिति)/दुग्ध उत्पादन सहकारी समिति, जो कि सहकारी अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत है।
- ii. महिला स्वयं सहायता समूह जो कि राज्य सरकार के महिला अधिकारिता विभाग से चयनित अथवा मान्यता प्राप्त है। आवेदक महिला स्वयं सहायता समूह को तीन वर्ष का कार्य अनुभव होना चाहिये।
- iii. ग्राम पंचायत/निगमित निकाय

नोट:-आवेदक/समितियों/समूह/निकाय होने पर सम्बन्धित सचिव/प्रबन्धक को कम्प्यूटर दक्षता एवं शैक्षणिक योग्यताओं को पूर्ण करना अनिवार्य होगा तथा इस बाबत प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

विशेष:-1. यदि विज्ञापन जारी किये जाने के पश्चात् क्रम संख्या 1,2 व 3 के अन्तर्गत एक ही आवेदन प्राप्त होता है तो उसको प्राधिकार पत्र जारी किया जावेगा। इस श्रेणी के दो अथवा दो से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर आवंटन हेतु निर्धारित प्रक्रिया अपनायी जावेगी।

2. महिला स्वयं सहायता समूह के अनुभव के आकलन के सम्बन्ध में निम्न आधार होंगे :-

- (क) समूह का गठन कम से कम तीन वर्ष पूर्व का हो।
- (ख) समूह का कम से कम तीन वर्ष पूर्व बैंक में खाता खुला हो।
- (ग) समूह के सदस्य तीन वर्ष से आन्तरिक लेन-देन में संलग्न हो।

(ख) द्वितीय वरीयता(व्यक्तिगत) के अन्तर्गत प्रथम वरीयता में आवेदन उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में ही निम्नलिखितप्राथमिकता क्रम के आधार पर चयन किया जावेगा :-

i. सामान्य श्रेणी

- (क) दिव्यांग(बेरोजगार)
- (ख) भूतपूर्व सैनिक(बेरोजगार)
- (ग) अन्य पात्र (बेरोजगार)

ii. महिला आरक्षित

- (क) दिव्यांग महिला (बेरोजगार)
- (ख) शहीद की विधवा वीरांगना (बेरोजगार)
- (ग) विधवा(बेरोजगार)
- (घ)परित्यक्ता(बेरोजगार)
- (ङ) भूतपूर्व सैनिक महिला(बेरोजगार)
- (च) अन्य पात्र महिला (बेरोजगार)



(संदेश नायक)
जिला कलेक्टर रसद
जयपुर

क्रमांक:-रसद/एफपीएस/विज्ञप्ति-2023/2026/ 2019-29

दिनांक:- 29.09.26

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को आवश्यक कार्यवाही हेतु पेशित है:-

1. विशिष्ट सहायक मंत्री महोदय, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग राजस्थान जयपुर।
2. निजी सचिव, सांसद महोदय जयपुर शहर/जयपुर ग्रामीण।
3. निजी सचिव, समस्त विधायकगण जिला जयपुर।
4. निजी सचिव, श्रीमान् प्रमुख शासन सचिव महोदय, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग राजस्थान जयपुर।
5. आयुक्त, नगर निगम जयपुर हैरिटेज/ग्रेटर।
6. अतिरिक्त खाद्य आयुक्त, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग राजस्थान जयपुर।
7. उपायुक्त एवं उपशासन सचिव खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग राजस्थान जयपुर।
8. उपखण्ड अधिकारी समस्त जिला जयपुर।
9. उप निदेशक, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग राजस्थान जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त विज्ञप्ति को विभाग की वेबसाइट food.raj.nic.in अपलोड करावें।
10. सहायक निदेशक, जिला जनसम्पर्क कार्यालय जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त विज्ञप्ति का स्थानीय समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशन करावें।
11. संस्थापन प्रभारी विज्ञप्ति नोटिस बोर्ड पर चस्पा करावें।
12. रक्षित पत्रावली।

(संदेश नायक)
जिला कलेक्टर रसद
जयपुर